बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
झाँसी

प्रशासकीय परिषद की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	33 वीं
माध्यम	:	वीडियो कॉंफ्रेसिंग/ जूम मीटिंग
दिनांक	:	29 सितम्बर, 2020
समय	:	पूर्वान्ह 11.30 बजे

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी
की
प्रशासकीय परिषद की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की 33 वीं बैठक आज दिनांक 29.09.2020 को पूर्वान्ह 11.30 बजे माननीय अध्यक्ष, इं0 राकेश गुप्ता, झाँसी की अध्यक्षता मे वीडियो काँफ्रेसिंग/ जूम मीटिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1.	इं0 राकेश गुप्ता 37/02, सिविल लाइन्स झाँसी।	....	अध्यक्ष
2.	मा0 एस0 राधा चौहान अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।	....	उपाध्यक्ष
3.	मा0 प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	....	सदस्य
4.	प्रो0 मनोरंजन परिदा उप निदेशक आई0आई0टी0, रुड़की	....	सदस्य(प्रतिनिधि, निदेशक, आईआईटी, रुड़की)
5.	इं0 मनोज कुमार निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर ।	....	सदस्य
6.	प्रो0 शिशिर सिन्हा प्रोफेसर एवं हेड, कैमिकल इंजी0 विभाग आई0आई0टी0, रुड़की।	....	सदस्य
7.	प्रो0 रचना अस्थाना निदेशक ए0आइ0टी0एच0 कानपुर।	....	सदस्य

8. प्रो० एस० के० अवस्थी .... सदस्य
पूर्व निदेशक
बीआईईटी, झाँसी

9. डा० अनिल कुमार .... विशेष आमंत्रित
एस०पी०आई०यू०-यू०पी०/
टी०ई०क्यू०आई०पी० ।।।
(एम०एच०आर०डी०)
401/402, एकेडमिक ब्लाक
ए० के० टी० यू०, जानकीपुरम विस्तार
लखनऊ -226031 (उ०प्र०)

10. प्रो० वी० के० त्यागी .... सदस्य सचिव
निदेशक
बी०आई०ई०टी०
झाँसी।

जो सदस्य उपस्थित न हो सके :-

1. श्री संजीव मित्तल .... सदस्य
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
उ० प्र० शासन,
लखनऊ।

2. प्रो० अभय करिन्दकर .... सदस्य
निदेशक
आई०आई०टी०,
कानपुर।

3. प्रो० एच० डी० चरन .... सदस्य
कुलपति
राजस्थान प्राविधिक विश्वविद्यालय
कोटा (राजस्थान)।

4. श्री आर० सी० श्रीवास्तव .... सदस्य
चीफ जनरल मैनेजर
परीक्षा थर्मल पावर प्रोजेक्ट
झाँसी।

33.01 **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 18.11.20219 को सम्पन्न हुई 31 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

33.02 **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई 31वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।**

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 18.11.2019 को सम्पन्न हुई 31 वीं बैठक मे लिये गये निर्णयों की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। परिषद द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

33.03 (अ) **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 26.05.2020 को सम्पन्न हुई बाई–सर्कुलेसन बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण तथा बैठक मे हुए निर्णय से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 26.05.2020 को सम्पन्न हुई बाई–सर्कुलेसन बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

33.03 (ब) **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 29.06.2020 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण तथा बैठक मे हुए निर्णय से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 29.06.2020 को सम्पन्न हुई 32 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

33.04 **संस्थान की दिनांक 18 नवम्बर, 2019 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद संस्थान की दिनांक 18.11.2019 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से अवगत हुई।

33.05 संस्थान मे वर्तमान मे कराये जा रहे निर्माण कार्यो, भविष्य मे प्रस्तावित निर्माण कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान मे वर्तमान मे कराये जा रहे निर्माण कार्यो तथा भविष्य मे कराये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यो से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया।

33.06 संस्थान की भवन निर्माण समिति की दिनांक 01.02.2020 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान की सम्पन्न हुई 30वीं भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

33.07 संस्थान की एकेडमिक समिति की दिनांक 31.01.2020 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान की दिनांक 31.01.2020 को सम्पन्न हुई एकेडमिक समिति की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

33.08 संस्थान छात्रों का प्लेसमेन्ट बढ़ाये जाने सम्बंधी की जा रही कार्यवाही का विवरण परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान के छात्रों के प्लेसमेन्ट को बढ़ाये जाने हेतु संस्थान द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत हुई तथा प्लेसमेंट बढ़ाये जाने हेतु प्लेसमेन्ट कम्पनी को हायर किये जाने की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

33.09 संस्थान मे संचालित पाठ्यक्रमों के एन0बी0ए0 एक्रीडिटेशन हेतु किये जा रहे कार्यो की प्रगति परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान मे संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के एन0बी0ए0 एक्रीडिटेशन की वर्तमान स्थिति से अवगत हुई तथा एक्रीडिटेशन हेतु संस्थान द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

33.10 **<u>ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित पंडित दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कार्यो का विवरण परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद संस्थान मे ऐ0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित पंडित दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कराये गये/ कराये जा रहे कार्यो से अवगत हुई। परिषद ने संस्थान के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कराये गये कार्यो पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले निम्न नवीन कार्यो हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः

1	100 सीटेड पुरुष छात्रावास (नव निर्माण)	01	51986000.00	51986000.00	कोरोना वायरस (कोविड 19) महामारी के वर्तमान परिस्थितियों मे 3.सीटेड वृन्दावन छात्रावास के प्रथम वर्ष के लगभग 100 छात्रों को नव निर्मित छात्रावास में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है जिससे सामाजिक दूरी का व्यापक रुप से अनुपालन किया जा सके।
2	मूक्स स्टूडियों	01	5057975.00	5057975.00	डिजिटल /वर्चुअल कक्षाओं हेतु शिक्षकों द्वारा लेक्चर वीडियों की श्रृंखला तैयार करने का प्रस्ताव है
3	स्मार्ट क्लास रुम (E-podium including OHP)	30	200000.00	6000000.00	वाह्य नियामक संस्थाओं जैसे एन0बी0ए0 इत्यादि के निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में पी0पी0टी0 द्वारा शिक्षण कार्य हेतु निर्देश दिए गए है । प्रस्ताव अनुसार लगभग 30 यू0जी0 तथा पी0जी0 कक्षाओं में ई.लर्निग व्यवस्था सुदृढ करने की योजना है ।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इन योजनाओं/कार्यो पर होने वाले व्यय में क्रय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी कार्य की द्विरावृत्ति न की जाय तथा इन कार्यो हेतु भविष्य में किसी अन्य योजनाओं से वित्त पोषण न किया जाय।

33.11 विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी–।।। से सम्बंधित प्रगति आख्या परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान मे चल रहे विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी–।।। की प्रगति आख्या से अवगत हुई। परिषद ने विभिन्न मदों के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये व्यय विवरण का अवलोकन किया। साथ ही टीईक्यूआईपी–।।। परियोजना के 31 मार्च, 2021 तक विस्तारण एवं तद्‌नुसार संस्थान मे कार्यरत टीईक्यूआईपी संकाय सदस्यों के 31 मार्च, 2021 तक के विस्तारण पर अनुमोदन प्रदान किया। प्रशाषकीय परिषद द्वारा यह निर्देश दिये गये कि टीईक्यूआईपी–।।। योजना के अन्तर्गत अब तक किये गये व्यय के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी निरीक्षण/आडिट की कार्यवाही करायी जाय।

33.12 संस्थान की विद्या परिषद हेतु विशेषज्ञों को नामित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने संस्थान की विद्या परिषद हेतु पूर्व नामित किये गये चार विशेषज्ञों की स्थिति से अवगत होते हुए क्रमांक 1 एवं 2 पर उल्लिखित विशेषज्ञों के अन्यत्र स्थानांतरित / सेवानिवृत्त होने की दशा मे उनके स्थान पर शेष अवधि के लिए निम्न विशेषज्ञों को नामित किया –

क.सं.	शेष समयावधि	विद्या परिषद हेतु वर्तमान मे नामित किये गये विशेषज्ञ
1.	20.05.2021	इं0 टी0 के0 बागची, कार्यपालक निदेशक, बी.एच.ई.एल., झाँसी
2.		इं0 संदीप माथुर, डी.आर.एम., झाँसी

33.13 संस्थान की प्रशासकीय परिषद द्वारा नामित किये जाने वाले प्रस्तावित सदस्यों की सूची परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने **Under Society Rules Clause No. 7(X) :** Two Professors to be nominated by the Board for one year by rotation in order of seniority. के क्रम मे निम्न तालिकानुसार संकाय सदस्यों को एक वर्ष के लिए परिषद का सदस्य नामित किया।

क.सं.	नामित अवधि	परिषद के सदस्य के रूप में नामित किये जाने वाले संस्थान के दो प्रोफेसर
1.	01 वर्ष हेतु	प्रो0 संजय अग्रवाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग बी0 आई0 ई0 टी0, झाँसी।
2.		प्रो0 विक्रम सिंह यादव प्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग बी0 आई0 ई0 टी0, झाँसी।

33.14 **सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संकाय सदस्यों को पुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन दिये जाने विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 18.11.2019 परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा शासनादेश संख्या 4342/सोलह-1-2018-14(4)/2010 दिनांक 18.11.2019 के अनुपालन मे संस्थान के अर्ह संकाय सदस्यों को पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन का लाभ प्रभावी कर दिये जाने पर सहमति प्रदान की।

परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कैलकुलेशन सीट का पुनः परीक्षण निदेशक स्वयं अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए अर्ह संकाय सदस्यों को पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर दिये गये एरियर के नियमानुसार अनुमन्य होने के प्रमाणपत्र के साथ एरियर की पचास प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही करें।

33.15 **संस्थान के संकाय सदस्यों को प्रोन्नति का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु मूक-कोर्स/ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इत्यादि मे प्रतिभाग किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ।**

परिषद द्वारा एम.एच.आर.डी. के पत्र दिनांक 18.01.2019 एवं अभातशिप की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 के आलोक मे संस्थान के संकाय सदस्यों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों विषयक शासनादेश संख्या 4342/सोलह-1-2018-14 (4)/2010 दिनांक 18.11.2019 के अनुपालन मे प्रोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु संस्थान स्तर से आवश्यक मूक-कोर्स/ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इत्यादि हेतु समर/ विंटर वेकेशन मे अधिकतम 15 दिन तथा एकेडमिक सत्र के समय अधिकतम 07 दिन का कार्य अवकाश स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

33.16 **<u>संस्थान हेतु अधिगृहीत हुई भूमि के मुआवजे मे स्थानीय न्यायालय द्वारा बढ़ोत्तरी के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज मे योजित प्रथम अपील संख्या 227/2002 स्टेट आफ यूपी व अन्य बनाम डा0 सुरेश चन्द्र शास्त्री मे पारित आदेश दि0 07.05.2019 के अनुपालन मे भुगतान किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्देशार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद द्वारा प्रकरण से अवलोकित होते हुए शासन द्वारा अपेक्षित निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही, किये जाने हेतु निर्देशित किया।

33.17 **<u>एल0ए0 वाद संख्या 25/2007 श्रीमती जनक दुलारी बनाम सरकार उ0प्र0 मे मा0न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2018 के कम मे सम्यक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद ने प्रकरण से अवलोकित होते हुए शासन द्वारा अपेक्षित निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

33.18 **<u>प्रो0 जे0 पी0 सैनी, ई0 एण्ड सी0 विभाग के विरुद्ध पारित दण्डादेश के कम मे प्रो0 सैनी द्वारा उक्त पर पुर्नविचार हेतु प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2016 एवं तद्सम्बंधी सुसंगत अभिलेखों के कम मे, यथोचित निर्णय का प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद प्रो0 जे0पी0 सैनी के प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों तथा शासन के पत्र संख्या 17/सोलह-1-2020-03(22)/2010 टी0सी0 दिनांक 03.01.2020 के साथ अभातशिप के पत्र संख्या सीवीओ/ एआईसीटीई/ एमचएचआरडी/ आरएसएमआईटीआरए/ आरडीए/161/313 दिनांक 06.12.2019 एवं सी0बी0आई0 के पत्र संख्या 1049/आरसी-712009(ई)0007 दिनांक 14.03.2016 से अवगत हुई। जिसमे सी0बी0आई0 द्वारा उक्त वाद को दिनांक 06.01.2016 मे दोषरहित के आधार पर निरस्त कर दिया गया है।

तद्क्रम मे परिषद ने शासन तथा सी0बी0आई0 के पत्र के आलोक मे सम्यक विचारोपरान्त प्रो0 जे0 पी0 सैनी के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 14.11.2013 को निरस्त एवं प्रकरण को निक्षेपित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया। चूंकि तत्कालीन अध्यक्ष/प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा द्वारा दण्डादेश पारित किया गया था, अतः प्रशासकीय परिषद की संस्तुति/निर्णय शासन को भी अनुमोदनार्थ संदर्भित किया जाय।

33.19 प्रशासकीय परिषद की विगत बैठकों के लम्बित प्रकरण परिषद के अवलोकनार्थ/ विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद संस्थान की विगत बैठकों के लम्बित प्रकरणों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

परिषद ने मद संख्या 26.10 के कम मे डा0 आर0एन0 वर्मा को जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया था। तद्क्रम में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयीं संस्तुतियों से परिषद को विगत 31वीं बैठक के माध्यम से अवगत कराया गया था। जिस पर परिषद के निर्देश के कम मे संस्तुतियों पर विधिक राय प्राप्त करते हुए प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया गया था। जिस पर अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए कार्यालय-आदेश जारी किये जाने हेतु निदेर्शित किया गया। जिस पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही परिषद ने डा0 आर0 एन0 वर्मा को प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया। डा0 रघुनाथ वर्मा के विरूद्ध जब विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नही है। अतः दण्डादेश जारी करने के बाद ही प्रोन्नति पर कार्यवाही की जाये।

परिषद ने डा0 डी0 सी0 धुबकरिया व डा0 यशपाल सिंह पर प्लेगरिजम के आरोप के आलोक में जाँच समिति को सम्बंधित वांक्षित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने से अवगत हुई। साथ ही परिषद ने निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से परिषद की आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

परिषद ने मद संख्या 26.15 पर प्रस्तुत डा0 संतोष कुमार साहू के प्रकरण मे संस्थान द्वारा गठित जाँच समिति से वर्ष 2018 से वांक्षित आख्या न प्राप्त होने पर परिषद द्वारा अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रकरण को अगले 30 कार्य दिवस में निस्तारित किये जाने तथा आगामी बैठक में परिषद को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

परिषद ने मद संख्या 26.16 पर प्रस्तुत प्रो0 अभय कुमार वर्मा व डा0 रघुनाथ वर्मा के प्रकरण से अवगत हुई। प्रकरण पर जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयीं संस्तुतियों से परिषद को विगत 31वीं बैठक के माध्यम से अवगत कराया गया था। जिस पर परिषद के निर्देश के कम मे संस्तुतियों पर विधिक राय प्राप्त करते हुए प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया गया था। प्रकरण पर जाँच अधिकारी की संस्तुतियों पर अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए कार्यालय-आदेश जारी किये जाने हेतु निदेर्शित किया गया है। जाँच अधिकारी की संस्तुतियों पर अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद के अनुमोदनोपरान्त परिषद ने भी अनुमोदन प्रदान किया। परिषद द्वारा यथोचित दण्डादेश तत्काल निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

परिषद द्वारा मद संख्या 26.17 एवं 27.04 पर सम्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

33.20 **<u>श्री रामआशीष विश्वकर्मा की एस0एन0डी0 पद के विरुद्ध लिपिक के रूप में की गयी नियुक्ति को लिपिक के रिक्त पद पर समायोजित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।</u>**

प्रश्नगत कर्मी की नियुक्ति संस्थान में इस शर्त के साथ की गई कि एस0एन0डी0 के पद पर नियमित नियुक्ति के दिन से वह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। यह स्पष्ट नही है कि एस0एन0डी0 पद पर किसी कार्मिक की नियमित नियुक्ति हुई है अथवा नही। दैनिक वेतन भोगी कर्मी के समायोजन/विनियमितीकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग का शासनादेश दि0 24.02.2016 प्रभावी होगा। उक्त शासनादेश के अनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निदेशक/ सदस्य सचिव को अधिकृत किया गया है।

33.21 **<u>संस्थान के निदेशक पद पर चयन हेतु की जा रही चयन प्रकिया सम्बंधी कार्यवाही परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/ दिशा-निर्देशार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद संस्थान के निदेशक पद पर चयन हेतु की जा रही चयन प्रक्रिया सम्बंधी कार्यवाही से अवगत हुई तथा इसमें हो रहे अप्रत्याशित विलम्ब पर अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त की गई। ए0आई0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 मे प्राविधानित व्यवस्थाओं के तथा शासन के अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुसार चयन की कार्यवाही दिनांक 15.12.2020 तक अनिवार्यतः

पूर्ण कराते हुए प्रशासकीय परिषद की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया।

33.22 **आभातशिप की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 के मानको के आधार पर संस्थान के निदेशक का कार्यकाल 02 वर्ष बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

परिषद ने मद संख्या 33.21 पर संस्थान के निदेशक पद पर चयन हेतु की जा रही कार्यवाही के आलोक मे उक्त मद पर विचार किये जाने का औचित्य नही पाया गया, और मद संख्या 33.21 में लिये गये निर्णयानुसार निदेशक पद पर चयन की कार्यवाही दि0 15.12.2020 तक अनिवार्यतः पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

33.23 **राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अभियंत्रण संस्थानों के रिक्त पदों पर केन्द्रीकृत रुप से नियमित नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद शासन के पत्रांक 21400/16-1001(001)/2/2020 दिनांक 29.05.2020 एवं मा0 कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ के पत्रांक अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2020/10802 दिनांक 20.05.2020 से अवलोकित हुई। प्रस्ताव (जो प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अभियँत्रण संस्थानों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के सम्बंध मे है।)

साथ ही परिषद ने शासन द्वारा प्रेषित किये गये पत्रांक 27795/16-1001(001)/2/2020 दिनांक 10.09.2020 से भी अवलोकित हुए संस्थान के रिक्त सभी शैक्षिक पदों पर चयन की कार्यवाही केन्द्रीयकृत रुप से सम्पादित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

33.24 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।**

33.24(1) **संस्थान के सृजित समस्त शैक्षिक पदों का अभातशिप के मानक 1:20 संकाय:छात्र तथा 1:2:6 के कैडर रेशो के अनुसार विभागीय पुर्नआवंटन करने पर विचार एवं स्वीकृति।**

परिषद वर्तमान मे संस्थान के विभिन्न विभागों मे वर्तमान मे आबंटित पदों एवं प्रस्तावित आबंटन अनुसार पदों के विवरण से अवगत हुई। परिषद ने निम्न तालिका अनुसार प्रस्तावित आबंटन पर अनुमोदन प्रदान किया।

विभाग	वर्तमान मे आबंटित पदों का विवरण			प्रस्तावित आबंटन अनुसार पदों का विवरण		
	प्रोफेसर	एसो0 प्रोफेसर	असि0 प्रोफेसर	प्रोफेसर	एसो0 प्रोफेसर	असि0 प्रोफेसर
सिविल इंजी0	01	02	05	01	02	05
मैकेनिकल इंजी0	01	03	06	01	03	05
ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी0	01	03	06	01	03	05
कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	01	02	04	01	02	05
कैमिकल इंजी0	01	01	04	01	02	05
एप्लाईड साइंस एण्ड ह्यूमिनिटीज	01	03	04	01	02	04

साथ ही शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम मे दिनांक 15.09.2020 को आनलाईन माध्यम से डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के माननीय कुलपति महादेय के साथ सम्पन्न हुई बैठक मे हुए निर्णयानुसार शासन से स्वीकृत पदों के सापेक्ष अभातशिप के मानकों अनुरूप 1:20 शिक्षक-छात्र अनुपात एवं कैडर रेशो 1:2:6 के आलोक मे तथा संस्थान के पदों की विभिन्न विभागों मे आबंटित संख्या मे भिन्नता तथा लोड के आलोक में उक्त 05 स्नातक पाठ्यक्रमों मे 8 पद प्रति विभाग तथा एप्लाईड साइंस एण्ड ह्यूमिनिटीज विभाग मे 7 पद का आबंटन करना तथा 01 पद वर्तमान में (छात्र संख्या 1:20 के आधार पर 48 पदों के स्थान पर 49 होने की दशा के दृष्टिगत) होल्ड किया जाने पर भी सहमति प्रदान की।

साथ ही जिन विभागों मे पदों की संख्या वर्तमान मे 08 से कम है, यथा कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग एवं कैमिकल

इंजीनियरिंग, उन विभागों में एसोशिएट/ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या जिन विभागों मे 08 से ज्यादा पद है यथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग उन विभागों से पद रिक्त होने पर स्थानान्तरित किये जाने पर भी सहमति प्रदान की। क्रियान्वयन किये जाने के उपरान्त आवश्यक पदों के सृजन तथा होल्ड पद का भी समान रूप मे विभागों मे वितरण किये जाने पर सहमति प्रदान की।

साथ ही परिषद ने कैमिकल, मैकेनिकल तथा सिविल विभागों मे भी छात्रों की प्रवेश क्षमता प्रशासकीय परिषद की 23वीं बैठक मे लिये गये निर्णय के कम में 60 छात्र किये जाने पर सम्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

परिषद ने प्रस्तावित पदों के आबंटन अनुसार शासनादेश संख्या 514/सोलह-1-2020-134/94,टीसी दिनांक 16.03.2020 एवं ए0के0टी0यू0, लखनऊ के पत्रांक वी0सी0आ0/कुप0क0/2020/10871 दिनांक 16.06.2020 के कम मे संस्थान को एक इकाई मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया।

33.24(2) परिषद द्वारा संस्थान मे रिक्त शिक्षणेत्तर पदों पर भी विज्ञापन कर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

(वी0 के0 त्यागी) सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद एवं निदेशक, बीआईईटी, झाँसी।	(एस0 राधा चौहान) उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद बीआईईटी, झाँसी एवं अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ
7/12/2020 (इं0 राकेश गुप्ता) अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद बीआईईटी, झाँसी।	